



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UTTRAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

बहादुराबाद, हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,

HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो०-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402

P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402

E-mail : Registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक : ५७९/प्रशासन/2024

दिनांक ०९ सितम्बर, 2024

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक

राष्ट्रीय सहारा


हरिद्वार।

विषय- विश्वविद्यालय के विज्ञापन को प्रकाशित करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया संलग्न विज्ञापित को राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के हरिद्वार संस्करण में 4x6 साईज में दिनांक 09.09.2024 को प्रकाशित कर अधिकतम छूट प्रदान करते हुये बिल भुगतान हेतु 02 प्रतियों में विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-विज्ञापन।


(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वित्त नियंत्रक।
3. कार्यालय प्रति।


(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UTTRAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

बहादुराबाद, हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,

HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY


पो-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402

P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402

E-mail : Registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु मा० कुलपति महोदय के प्रयोगार्थ मासिक किराये पर एक इनोवा क्रिस्टा वाहन किराये पर लिये जाने हेतु नियम एवं शर्त संबंधी विवरण :-

1. इनोवा क्रिस्टा वाहन विश्वविद्यालय हेतु मासिक किराये पर 04 वर्ष (2020) से पुराने मॉडल का न हो।
2. वाहन चालक विश्वविद्यालय का रहेगा एवं ईंधन व्यय का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
3. मासिक किराये हेतु केवल इनोवा क्रिस्टा वाहन ही, वाहन स्वामी द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वाहन स्वामी को प्रमाण पत्र देना होगा कि वाहन का पंजीकरण उनके द्वारा सम्बन्धित विभाग में किया गया है जो कि वैध है।
5. वाहन स्वामी को यह शपथ पत्र देना होगा, कि वाहन के टैक्स का भुगतान स्वयं करना होगा। वाहन में लॉग बुक, स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट बॉक्स व आग बुझाने का यंत्र भी वाहन स्वामी को अपने व्यय पर रखना होगा।
6. वाहन स्वामी को धरोहर राशि के रूप में ₹0-10000.00 का बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
7. वाहन का बीमा वाहन स्वामी को स्वयं कराना होगा। वाहन को सर्विसिंग हेतु एक दिन (अवकाश के दिन) वाहन स्वामी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
8. यदि वाहन स्वामी द्वारा संतोषजनक सेवा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तत्काल वाहन की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
9. वाहन का अनुबन्ध चार से पांच माह अथवा विभागीय वाहन उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक मान्य हो।
10. वाहन का उपयोग राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर भी किया जायेगा।
11. वाहन की आन्तरिक साज सज्जा, सीट कवर तौलिये पढ़ने के लिए बिजली फुटमैट उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी चाहिए।
12. वाहन का प्रदूषण मुक्त का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध होना चाहिए।
13. किसी क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार का विकित्सा बीमा, मुआवजा व अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
14. आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अतिथियों के निवास/कार्यालय/कालोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
15. आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक 24.09.2024 तक जमा किया जाना है जो दिनांक 24.09.2024 को सायं 3.00 बजे कुलसचिव कार्यालय में खोली जायेगी।


(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
बैबसाईट www.usvv.ac.in

पत्रांक 479/टैक्सी किराया/2024 दिनांक 08 सितम्बर, 2024

विज्ञप्ति

एतद्वारा सर्वसाधारण से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु Innova Crysta वाहन मासिक किराये पर लिये जाने हेतु शीलबन्द लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.usvv.ac.in पर उपलब्ध है।

गिरीश कुमार अवस्थी, कुलसचिव